

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 177/2020

दायर दिनांक: 05.11.2020

उनवान

1. जगदीश पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन निवासी खुरी हाल मुकाम बारां ।
2. मंजू पुत्री श्याममुरारी पत्नी योगेश जाति महाजन निवासी खुरी तहसील अटरू
3. महेन्द्र पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज० ।
4. राजेन्द्र पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज० ।
5. सत्यनारायण पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां ।
6. सुरेन्द्र पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज० ।
7. विमला उर्फ विमलेश पुत्री श्याममुरारी जाति महाजन निवासी खुरी तहसील अटरू ।
8. निर्मला पुत्री श्याममुरारी जाति महाजन निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज० ।
9. लीला पुत्री श्याममुरारी पत्नी उमाशंकर जाति महाजन निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज० ।

वादीगण

बनाम

1. गायत्री बाई पुत्री माधोलाल जाति मीणा निवासी बोकडा तह० अटरू जिला बारां राज० ।
2. द्रोपदी पुत्री माधोलाल जाति मीणा निवासी बोकडा तह० अटरू जिला बारां राज० ।
3. पृथ्वीराज पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी बोकडा तह० अटरू जिला बारां राज० ।
4. राजेन्द्र पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी बोकडा तह० अटरू जिला बारां राज० ।
5. रामदयाल पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी बोकडा तह० अटरू जिला बारां राज० ।
6. शिवनारायण पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी बोकडा तह० अटरू
7. बाबूलाल उर्फ रामेश्वर पुत्र मोतीलाल जाति महाजन निवासी खुरी हाल मुकाम बारां जिला बारां राजस्थान
8. राजस्थान सरकार जय्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां



प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88, 89, 91,92 ए, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल ।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी


आदेश

दिनांक: 08/02/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 92 ए आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार खाता संख्या 367 की ख0नं0 1365 रकबा 0.15 है0 व ख0नं0 663 रकबा 0.34 है0, खं नं. 814 रकबा 2.88 है0, तथा ख. न. 920 रकबा 0.20 है0 कुल 4 किता का रकबा 3.57 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। इसी तरह से ग्राम एवं माल खुरी तह0 अटरू में खाता सं0 28 की ख. नं. 1402 रकबा 2.12 है0 कुल किता 1 रकबा 2.12 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। इसी तरह से ग्राम एवं माल खुरी तह0 अटरू में खाता सं0 360 का ख. नं. 1021 रकबा 0.01 है0 ख.न. 246 रकबा 1.29 है0 कुल किता 2 रकबा 1.30 है0 भूमि स्थित चली आ रही है।

ग्राम एवं माल बोकडा तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार खाता संख्या 59 की ख0नं0 452/892 रकबा 0.03 है0 व ख0नं0 595/831 रकबा 0.25 है0, खं नं. 595/832 रकबा 0.21 है0, तथा ख. न. 618 रकबा 1.48 है0, ख. नं. 621 रकबा 1.94 है0 , ख0 नं0 622/836 रकबा 0.04 है0 ख0 नं0 626/837 रकबा 0.11 है0 कुल किता 7 का रकबा 4.06 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू में खाता संख्या 367 एवं खाता सं0 28 की भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें खातेदार कमलाबाई पत्नी स्व0 मदनलाल महाजन का स्वर्गवास हो चुका है। मदनलाल एवं कमलाबाई के कोई संतान नहीं थी इसके परिवार का सजरा निम्न प्रकार है:-

मोतीलाल



मदन लाल (मृतक)

श्याममुरारी

रामेश्वर उर्फ बाबूलाल

कमलाबाई (मृतक पत्नी)

मंजू (पुत्री)

महेन्द्र (पुत्र)

राजेन्द्र (पुत्र)

सत्यनारायण (पुत्र)

सुरेन्द्र (पुत्र)

जगदीश (पुत्र)

दांखाबाई (मृतक पत्नी)

निर्मला (पुत्री)

विमला उर्फ विमलेश

लीला ↓ (पुत्री)

वादीगण के दादा मोतीलाल जी के तीन संताने थी। जिनमें वादीगण के पिता श्याममुरारी का स्वर्गवास हो चुका है। तथा मदनलाल का भी हो चुका है। मदनलाल की पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका है। मदनलाल जी लाओलाद थे। स्व० मदनलाल के भाई श्याममुरारी एवं रामेश्वर उर्फ बाबूलाल हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची के अनुसार मदनलाल जी के हिस्से की भूमि को खातेदार कृषक घोषित होने के अधिकारी है। श्याममुरारी जी का स्वर्गवास हो चुका है। वादीगण की माता दांखाबाई का भी स्वर्गवास हो चुका है। वादीगण एवं प्रति. क्र. 7 रामेश्वर उर्फ बाबूलाल की उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मदनलाल एवं उनकी पत्नी कमलाबाई के हिस्से की भूमि पर खातेदार कृषक घोषित होकर बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है। प्रति. क्रम 7 बाबूलाल उर्फ रामेश्वर वादीगण के पिता श्याममुरारी का सगा भाई है। पटवारी हल्का बोकडा ने ग्राम बोकडा तह० अटरू के माल में स्थित खाता सं० 59 की भूमि में मोतीलाल के स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिसान ने प्रति. क्रम 7 का नाम बाबूलाल पुत्र मोतीलाल के नाम से नामान्तरण दर्ज कर दिया। जबकि ग्राम एवं माल खुरी के माल में स्थित खाता सं० 360 एवं 367 तथा खाता सं. 28 में मोतीलाल के स्वर्गवास के पश्चात बाबूलाल के बजाय नामा० खोलते समय रामेश्वर पुत्र

मोतीलाल दर्ज कर दिया । जबकि रामेश्वर का असली नाम बाबूलाल ही है इसलिए प्रातः क्रम 7 ग्राम व माल खुरी में स्थित खाता सं० 360 ,367 एवं 28 में नाम दुरुस्त करवाकर रामेश्वर के स्थान पर बाबूलाल पुत्र मोतीलाल राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। वादीगण के पिता श्याममुरारी का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात पटवारी हल्का बोकडा एवं पटवारी हल्का खुरी ने खाता सं. 59 एवं खाता सं. 367 में वादीगण के पिता श्याममुरारी के स्वर्गवास के पश्चात उनके पक्ष में नामान्तरण दर्ज कर दिया। लेकिन पटवारी हल्का खुरी ने खुरी के माल में स्थित खाता सं० 28 एवं 360 की भूमि में वादीगण के पिता श्याममुरारी का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात भी वादीगण के पक्ष में नामान्तरण दर्ज नहीं किया। वादीगण श्याममुरारी के वारिसान एवं विधिक प्रतिनिधि है। वादीगण खाता सं० 28 एवं 360 ग्राम खुरी में श्याममुरारी के स्थान पर खातेदार कृषक घोषित होकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है।

वाद पत्र की मद नं० 1 ता 4 में वर्णित भूमि शामिल होती खाते की भूमि है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से आपसी सहमति से बंटवारा करने के लिए दिनांक 1.10.2020 को पूर्व में हो रहे उनके हिस्सेनुसार कब्जेनुसार बंटवारानुसार बंटवारा करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे तथा बेचन की धमकी दे रहे है। प्रतिवादीगण ने अविभाजित हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया तो वादीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा । वादीगण बंटवारा नहीं हाने से अपने हिस्से की भूमि का विकास कार्य नहीं करवा पा रहे है तथा बैंकों से ऋण भी प्राप्त नहीं कर पा रहें । वादीगण को बहुत परेशानियों का सामना करना पड रहा है। बिना सहायता न्यायालय बंटवारा करवाया जाना , खाते को दुरुस्त करवाया जाना व खातेदार कृषक घोषित होना संभव नहीं है। अस्तु वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषण करवा पाने के अधिकारी है कि मृतक कमलाबाई के हिस्से पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 7 को उनके हिस्सेनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा ग्राम एवं माल खुरी की खाता सं. 28 व 360 पर मृतक श्याममुरारी के स्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर तथा विमलाबाई एवं रामेश्वर का नाम दुरुस्त किया जाकर विमलाबाई के स्थान पर विमलेश व रामेश्वर के स्थान पर बाबूलाल दर्ज करवाकर हिस्सेनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है। राजस्थान सरकार को धारा 80 सी०पी०सी० का नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक है लेकिन नोटिस प्रेषित किया एवं नोटिस की अवधि समाप्ति का इंतजार किया गया तो प्रतिवादीगण बिना बंटवारा करवाये अविभाजित हिस्से में भूमि बेचान कर देंगे। जिससे

वादीगण को अनेकोंनेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। इसलिए वाद आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 (2) सी०पी०सी० का अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर वाद न्यायालय की अनुमति से पेश है। प्रति.क्रम 8 राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 1.10.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा करवाने से मना करने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल खुरी व बोकडा तह० अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावें:-

- (अ) ग्राम एवं माल खुरी तह० अटरू की खाता सं० 28 व 360 में मृतक श्याममुरारी के स्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर तथा खाता सं० 367 एवं 28 में मृतक कमलाबाई के स्थान पर वादीगण एवं प्रति. क्र 7 को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर तथा विमलाबाई के बजाय विलेशबाई व रामेश्वर के बजाय बाबूलाल दर्ज करवाकर तथा मृतक दांखाबाई एवं कमलाबाई का नाम खाते से पृथक किया जाकर वादीगण के हिस्से एवं कब्जेनुसार भूमियों का बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावे ।
- (ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया। ग्राम एवं माल बोकडा तहसील अटरू की खाता सं. 59 की भूमि का निम्न प्रकार से विभाजन किया है। शिवनारायण पुत्र हीरालाल, रामदयाल पुत्र माधोलाल, राजेन्द्र पुत्र माधोलाल, पृथ्वीराज पुत्र माधोलाल, द्रोपदीबाई पुत्री माधोलाल, गायत्रीबाई पुत्री माधोलाल के हिस्से एवं कब्जे में खं० नं० 621 रकबा 1.94 है०, खं० नं० 595/831 पूर्वी दिशा का रकबा 0.09 है०, कुल 2 किता रकबा 2.03 है० भूमि रहेगी। तथा जगदीश पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन महेन्द्र पुत्र श्याममुरारी, राजेन्द्र पुत्र श्याममुरारी, सत्यनारायण पुत्र श्याममुरारी, सुरेन्द्र पुत्र श्याममुरारी के

हिस्से एवं कब्जे में ख. नं. 452/852 रकबा 0.03 है0, ख.नं. 595/831 रकबा पश्चिम दिशा का 0.16 है0, ख0नं0 595/832 रकबा 0.21 है0 ,ख0 नं0 618 रकबा 1.48 है0, ख0नं0 622/836 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 626/837 रकबा 0.11 है0 कुल किता 6 रकबा 2.03 है0 भूमि रहेगी। खातेदार दांखाबाई का स्वर्गवास हो चुका है। वारिसान ने आपसी सहमति से बंटवारा किया है। ग्राम एवं माल खुरी की खाता सं0 360 की भूमि ख0 नं0 1021 रकबा 0.01 है0 , ख0 नं0 246 रकबा 1.29 है0 कुल दो किता रकबा 1.30 है0 भूमि जगदीश पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन , महेन्द्र पुत्र श्याममुरारी,राजेन्द्र पुत्र श्याममुरारी, सत्यनारायण पुत्र श्याममुरारी, सुरेन्द्र पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन निवासी बारां के हिस्से एवं कब्जे व खाते में रहेगी। ग्राम एवं माल खुरी की खाता सं. 28 की ख0 नं0 1402 रकबा 2.12 है0 भूमि बाबूलाल पुत्र मोतीलाल जाति महाजन नि0 खुरी हाल निवासी बारां के हिस्से एवं कब्जे में रहेगी।ग्राम एवं माल खुरी की खाता सं. 367 की ख0 नं0 663 रकबा 0.34 है0 भूमि निर्मला पुत्री श्याममुरारी , मंजू पुत्री श्याममुरारी, लीला पुत्री श्याममुरारी ,विमला उर्फ विमलेश पुत्री श्याममुरारी पत्नी दयाशंकर एवं सुरेन्द्र पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन हाल निवासी बारां के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी। तथा ख0नं0 1365 रकबा 0.15 है0 व, खं नं. 814 रकबा 2.88 है0, तथा ख. न. 920 रकबा 0.20 है0 कुल 3 किता का रकबा 3.23 है0 भूमि जगदीश पुत्र श्याममुरारी, महेन्द्र पुत्र श्याममुरारी, राजेन्द्र,सुरेन्द्र पुत्र श्याममुरारी एवं सत्यनारायण पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन हाल निवासी बारां के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी।

अतः राजीनामा प्रस्तुत का निवेदन है कि प्रार्थीगण का राजीनामा तस्दीक किया जाकर राजीनामा अनुसार निर्णय एवं डिक्री पारित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया, वादीगण की पहचान श्री भगवान मंगल एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री चद्र प्रकाश योगी द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार खाता संख्या 367 की ख0नं0 1365 रकबा 0.15 है0 व ख0नं0 663 रकबा 0.34 है0, खं नं. 814 रकबा 2.88 है0, तथा ख. न. 920 रकबा 0.20 है0 कुल 4 किता का रकबा 3.57 है0 इसी तरह से ग्राम एवं माल खुरी तह0 अटरू में खाता सं0 28 की ख. नं. 1402 रकबा 2.12 है0 कुल किता 1 रकबा 2.12 है0 इसी तरह से

ग्राम एवं माल खुरी तह0 अटरू में खाता सं0 360 का ख. नं. 1021 रकबा 0.01 है0 ख.न. 246 रकबा 1.29 है0 कुल किता 2 रकबा 1.30 है0 ,ग्राम एवं माल बोकडा तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार खाता संख्या 59 की ख0नं0 452/892 रकबा 0.03 है0 व ख0नं0 595/831 रकबा 0.25 है0, खं नं. 595/832 रकबा 0.21 है0, तथा ख. न. 618 रकबा 1.48 है0, ख. नं. 621 रकबा 1.94 है0 , ख0 नं0 622/836 रकबा 0.04 है0 ख0 नं0 626/837 रकबा 0.11 है0 कुल किता 7 का रकबा 4.06 है0 ,ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू में खाता संख्या 367 एवं खाता सं0 28 की भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है।

प्रस्तुत रिकार्ड ग्राम पंचायत खुरी का प्रमाण पत्र अनुसार वादी क्रम 7 का नाम विमला बाई का नाम विमला बाई उर्फ विमलेश है। इनकों दोनों नामों से जाना जाता है तथा राशन कार्ड में विमलेश नाम दर्ज है। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 7 का नाम पंचायत रिकार्ड अनुसार बाबूलाल उर्फ रामेश्वर है। इनको दोनों नामों से जाना जाता है तथा राशन कार्ड में बाबूलाल नाम दर्ज है। अतः रिकार्ड व राजीनामा अनुसार वादी का वाद आपसी सहमति से स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार खाता संख्या 367 की ख0नं0 1365 रकबा 0.15 है0 व ख0नं0 663 रकबा 0.34 है0, खं नं. 814 रकबा 2.88 है0, तथा ख. न. 920 रकबा 0.20 है0 कुल 4 किता का रकबा 3.57 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। इसी तरह से ग्राम एवं माल खुरी तह0 अटरू में खाता सं0 28 की ख. नं. 1402 रकबा 2.12 है0 कुल किता 1 रकबा 2.12 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। इसी तरह से ग्राम एवं माल खुरी तह0 अटरू में खाता सं0 360 का ख. नं. 1021 रकबा 0.01 है0 ख.न. 246 रकबा 1.29 है0 कुल किता 2 रकबा 1.30 है0 भूमि स्थित चली आ रही है।

ग्राम एवं माल बोकडा तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार खाता संख्या 59 की ख0नं0 452/892 रकबा 0.03 है0 व ख0नं0 595/831 रकबा 0.25 है0, खं नं. 595/832 रकबा 0.21 है0, तथा ख. न. 618 रकबा 1.48 है0, ख. नं. 621 रकबा 1.94 है0 , ख0 नं0 622/836 रकबा 0.04 है0 ख0 नं0 626/837 रकबा 0.11 है0 कुल किता

7 का रकबा 4.06 है। भूमि स्थित चली आ रही है। ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू में खाता संख्या 367 एवं खाता सं० 28 की भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि में वादी क्रम 7 का नाम विमलाबाई के स्थान पर विमला बाई उर्फ विमलेश तथा प्रतिवादी क्रम 7 का नाम रामेश्वर उर्फ बाबूलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते हैं। ग्राम एवं माल खुरी तह० अटरू की खाता सं० 28 व 360 में मृतक श्याममुरारी के स्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा खाता सं० 367 एवं 28 में मृतक कमलाबाई के स्थान पर वादीगण एवं प्रति. क्र 7 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजीनामा अनुसार वादीगण / प्रतिवादीगण के मध्य उक्त भूमि का विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है :-

1. ग्राम एवं माल बोकडा तहसील अटरू की खाता सं. 59 की भूमि का निम्न प्रकार से विभाजन किया है। शिवनारायण पुत्र हीरालाल, रामदयाल पुत्र माधोलाल, राजेन्द्र पुत्र माधोलाल, पृथ्वीराज पुत्र माधोलाल, द्रोपदीबाई पुत्री माधोलाल, गायत्रीबाई पुत्री माधोलाल के हिस्से एवं कब्जे में ख० नं० 621 रकबा 1.94 है०, ख० नं० 595/831 पूर्वी दिशा का रकबा 0.09 है०, कुल 2 किता रकबा 2.03 है० भूमि रहेगी, तथा जगदीश पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन महेन्द्र पुत्र श्याममुरारी, राजेन्द्र पुत्र श्याममुरारी, सत्यनारायण पुत्र श्याममुरारी, सुरेन्द्र पुत्र श्याममुरारी के हिस्से एवं कब्जे में ख. नं. 452/852 रकबा 0.03 है०, ख.नं. 595/831 रकबा पश्चिम दिशा का 0.16 है०, ख० नं० 595/832 रकबा 0.21 है०, ख० नं० 618 रकबा 1.48 है०, ख० नं० 622/836 रकबा 0.04 है०, ख० नं० 626/837 रकबा 0.11 है० कुल किता 6 रकबा 2.03 है० भूमि रहेगी।
2. ग्राम एवं माल खुरी की खाता सं० 360 की भूमि ख० नं० 1021 रकबा 0.01 है०, ख० नं० 246 रकबा 1.29 है० कुल दो किता रकबा 1.30 है० भूमि जगदीश पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन, महेन्द्र पुत्र श्याममुरारी, राजेन्द्र पुत्र श्याममुरारी, सत्यनारायण पुत्र श्याममुरारी, सुरेन्द्र पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन निवासी बारां के हिस्से एवं कब्जे व खाते में रहेगी।
3. ग्राम एवं माल खुरी की खाता सं. 28 की ख० नं० 1402 रकबा 2.12 है० भूमि बाबूलाल पुत्र मोतीलाल जाति महाजन नि० खुरी हाल निवासी बारां के हिस्से एवं कब्जे में रहेगी।
4. ग्राम एवं माल खुरी की खाता सं. 367 की ख० नं० 663 रकबा 0.34 है० भूमि निर्मला पुत्री श्याममुरारी, मंजू पुत्री श्याममुरारी, लीला पुत्री श्याममुरारी, विमला उर्फ विमलेश पुत्री श्याममुरारी पत्नी दयाशंकर एवं सुरेन्द्र पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन हाल निवासी बारां के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी।

5. ख0नं0 1365 रकबा 0.15 है0 व, खं नं. 814 रकबा 2.88 है0, तथा ख. न. 920 रकबा 0.20 है0 कुल 3 किता का रकबा 3.23 है0 भूमि जगदीश पुत्र श्याममुरारी, महेन्द्र पुत्र श्याममुरारी, राजेन्द्र,सुरेन्द्र पुत्र श्याममुरारी एवं सत्यनारायण पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन हाल निवासी बारां के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक- पृथक अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

प्रकरण सं0 177/2020

उनवान

1. जगदीश पुत्र श्यामपुरारी जाति महाजन निवासी खुरी हाल मुकाम बारां।
2. मंजू पुत्री श्यामपुरारी पत्नी योगेश जाति महाजन निवासी खुरी तहसील अटरू
3. महेन्द्र पुत्र श्यामपुरारी जाति महाजन निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. राजेन्द्र पुत्र श्यामपुरारी जाति महाजन निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. सत्यनारायण पुत्र श्यामपुरारी जाति महाजन निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां।
6. सुरेन्द्र पुत्र श्यामपुरारी जाति महाजन निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
7. विमला उर्फ विमलेश पुत्री श्यामपुरारी जाति महाजन निवासी खुरी तहसील अटरू।
8. निर्मला पुत्री श्यामपुरारी जाति महाजन निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
9. लीला पुत्री श्यामपुरारी पत्नी उमाशंकर जाति महाजन निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. गायत्री बाई पुत्री माधोलाल जाति मीणा निवासी बोकडा तह0 अटरू जिला बारां राज0।
2. द्रोपदी पुत्री माधोलाल जाति मीणा निवासी बोकडा तह0 अटरू जिला बारां राज0।
3. पृथ्वीराज पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी बोकडा तह0 अटरू जिला बारां राज0।
4. राजेन्द्र पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी बोकडा तह0 अटरू जिला बारां राज0।
5. रामदयाल पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी बोकडा तह0 अटरू जिला बारां राज0।
6. शिवनारायण पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी बोकडा तह0 अटरू
7. बाबूलाल उर्फ रामेश्वर पुत्र मोतीलाल जाति महाजन निवासी खुरी हाल मुकाम बारां जिला बारां राजस्थान
8. राजस्थान सरकार जय्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88, 89, 91,92 ए, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी

मिनजानित मुदई रूबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार खाता संख्या 367 की ख0नं0 1365 रकबा 0.15 है0 व ख0नं0 663 रकबा 0.34 है0, खं नं. 814 रकबा 2.88 है0, तथा ख. न. 920 रकबा 0.20 है0 कुल 4 किता का रकबा 3.57 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। इसी तरह से ग्राम एवं माल खुरी तह0 अटरू में खाता सं0 28 की ख. नं. 1402 रकबा 2.12 है0 कुल किता 1 रकबा 2.12 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। इसी तरह से ग्राम एवं माल खुरी तह0 अटरू में खाता सं0 360 का ख. नं. 1021 रकबा 0.01 है0 ख.न. 246 रकबा 1.29 है0 कुल किता 2 रकबा 1.30 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। ग्राम एवं माल बोकडा तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार खाता संख्या 59 की ख0नं0 452/892 रकबा 0.03 है0 व ख0नं0 595/831 रकबा 0.25 है0, खं नं. 595/832 रकबा 0.21 है0, तथा ख. न. 618 रकबा 1.48 है0, ख. नं. 621 रकबा 1.94 है0, ख0 नं0 622/836 रकबा 0.04 है0 ख0 नं0 626/837 रकबा 0.11 है0 कुल किता 7 का रकबा 4.06 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू में खाता संख्या 367 एवं खाता सं0 28 की भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि में वादी क्रम 7 का नाम विमलाबाई के स्थान पर विमला बाई उर्फ विमलेश तथा प्रतिवादी क्रम 7 का नाम रामेश्वर उर्फ बाबूलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते हैं। ग्राम एवं माल खुरी तह0 अटरू की खाता सं0 28 व 360 में मृतक श्यामपुरारी के स्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा खाता सं0 367 एवं 28 में मृतक कमलाबाई के स्थान पर वादीगण एवं प्रति. क्र 7 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजीनामा अनुसार वादीगण / प्रतिवादीगण के मध्य उक्त भूमि का विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है :-

1. ग्राम एवं माल बोकडा तहसील अटरू की खाता सं. 59 की भूमि का निम्न प्रकार से विभाजन किया है। शिवनारायण पुत्र हीरालाल, रामदयाल पुत्र माधोलाल, राजेन्द्र पुत्र माधोलाल, पृथ्वीराज पुत्र माधोलाल, द्रोपदीबाई पुत्री माधोलाल, गायत्रीबाई पुत्री माधोलाल के हिस्से एवं कब्जे में खं0 नं0 621 रकबा 1.94 है0 , ख0 नं0 595/831 पूर्वी दिशा का रकबा 0.09 है0 , कुल 2 किता रकबा 2.03 है0 भूमि रहेगी, तथा जगदीश पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन महेन्द्र पुत्र श्याममुरारी, राजेन्द्र पुत्र श्याममुरारी, सत्यनारायण पुत्र श्याममुरारी, सुरेन्द्र पुत्र श्याममुरारी के हिस्से एवं कब्जे में ख. नं. 452/852 रकबा 0.03 है0, ख.नं. 595/831 रकबा पश्चिम दिशा का 0.16 है0, ख0नं0 595/832 रकबा 0.21 है0 , ख0 नं0 618 रकबा 1.48 है0, ख0नं0 622/836 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 626/837 रकबा 0.11 है0 कुल किता 6 रकबा 2.03 है0 भूमि रहेगी।
2. ग्राम एवं माल खुरी की खाता सं0 360 की भूमि ख0 नं0 1021 रकबा 0.01 है0 , ख0 नं0 246 रकबा 1.29 है0 कुल दो किता रकबा 1.30 है0 भूमि जगदीश पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन, महेन्द्र पुत्र श्याममुरारी, राजेन्द्र पुत्र श्याममुरारी, सत्यनारायण पुत्र श्याममुरारी, सुरेन्द्र पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन निवासी बारां के हिस्से एवं कब्जे व खाते में रहेगी।
3. ग्राम एवं माल खुरी की खाता सं. 28 की ख0 नं0 1402 रकबा 2.12 है0 भूमि बाबूलाल पुत्र मोतीलाल जाति महाजन नि0 खुरी हाल निवासी बारां के हिस्से एवं कब्जे में रहेगी।
4. ग्राम एवं माल खुरी की खाता सं. 367 की ख0 नं0 663 रकबा 0.34 है0 भूमि निर्मला पुत्री श्याममुरारी , मंजू पुत्री श्याममुरारी, लीला पुत्री श्याममुरारी , विमला उर्फ विमलेश पुत्री श्याममुरारी पत्नी दयाशंकर एवं सुरेन्द्र पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन हाल निवासी बारां के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी।
5. ख0नं0 1365 रकबा 0.15 है0 व, खं नं. 814 रकबा 2.88 है0, तथा ख. न. 920 रकबा 0.20 है0 कुल 3 किता का रकबा 3.23 है0 भूमि जगदीश पुत्र श्याममुरारी, महेन्द्र पुत्र श्याममुरारी, राजेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्र श्याममुरारी एवं सत्यनारायण पुत्र श्याममुरारी जाति महाजन हाल निवासी बारां के स्वामित्व एवं कब्जे में रहेगी।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक- पृथक अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 08.02.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)